[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

******

अधिसूचना

सं. 75 /2018 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 जिसे सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संसोधन करता है, यथा: —

उक्त अधिसूचना में, सारणी 2 में, कॉलम (2) में —

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(iii) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उड़ान तालुका में स्थित करंजा टर्मिनल”;

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (i) में, शब्द रायगढ़ के पश्चात, कोष्ठक और शब्द

“(उड़ान तालुका के करंजा टर्मिनल को छोड़कर)” को अंत: स्थापित किया जाएगा।

[फा .सं. 434/21/2017- सीमा शुल्क IV]

(जुबैर रियाज़)

निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2018- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 293 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संसोधन किया गया है।